[1989] 2 उम० नि० प० 97

विक्रम देव सिंह तोमर

बनाम

बिहार राज्य

2 अगस्त, 1988

मुख्य न्यायमूर्ति आर० एस० पाठक, न्या० एल एम० शर्मा और एन० डी० ओझा

संविधान, 1950—अनुच्छेद 21 और 39—प्राण-संरक्षण का अधिकार—राज्य द्वारा अनाथालय का अनुरक्षण—चूंकि भारत कल्याणकारी राज्य है, इसलिए राज्य को चाहिए कि वह ऐसे अनाथालयों में निवास करने वालों की मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने वाली न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था अवश्य ही करे।

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल की गई इस रिट याचिका में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या राज्य द्वारा अनुरक्षित अनाथालयों में निवास करने वालों की मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने वाली न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था न करना भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के लिए श्रेयस्कर है ? सुसंगत रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि संबधित राज्य ने इस प्रकार के अनाथालयों का अनुरक्षण इस रीति से नहीं किया जो कि एक कल्याणकारी राज्य को करना चाहिए। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा उचित निदेश देते हुए,

अभिनिर्धारित—भारत एक ऐसे संविधान से शासित कल्याणकारी राज्य है, जिसका भारत के नागरिकों के दिलों में गौरवपूर्ण स्थान है, जो समाज के दुर्बल वर्गों के संरक्षण और कल्याण पर विशेष बल देता है और उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रास्थिति को अपने उपबंधों में वर्णित सांविधानिक गारंटियों के आधार पर सुधारने की ईप्सा करता है। इसमें स्त्रियों और बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है और यद्यपि इसमें समता का सिद्धांत व्याप्त है, तो भी यह उनके लिए विधि द्वारा विशेष उपबंध का किया जाना अनुध्यात करता है। यह तभी संभव है, जब कोई प्रबुद्ध सांविधानिक तंत्र ऐसे समाज के राजनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक शासन का भार अपने ऊपर ले, जिसमें स्त्रियों को शताब्दियों से उनका उचित स्थान नहीं मिला है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 का निर्वचन करते समय यह प्रदर्शित किया है कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप जीवन जीने का हकदार है। मानवोचित गरिमा के साथ रहना हर भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है और यही कारण है कि राज्य जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते समय यह आवश्यक समझता है कि अपूर्ण सामाजिक व्यवस्था द्वारा परित्यक्त अभागी स्त्रियों और बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए अनाथालय चलाए जाएं और तन्निमित्त उपबंध किया जाए। मानवता तथा विधि और व्यवस्था से संबंधित विचारणीय बातें राज्य से ऐसा करने की अपेक्षा करती हैं। सर्वमान्य सिद्धांत से मान्यताप्राप्त सांविधानिक मानकों का पालन करने के लिए राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह स्त्रियों और बच्चों को इन स्थापनाओं में, जिन्हें अनाथालय जैसा मधुर नाम प्रदान किया गया है, भेजते

समय कम-से-कम वे न्यूनतम दशाएं उत्पन्न करे जो मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करती हैं। इस मामले में न्यायालय के समक्ष दयनीय दशा वाला ऐसा जीर्ण-शीर्ण मकान है, जिसमें ऐसी स्त्रियां खचाखच भरी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश टूटे-फूटे तथा सीलन और गंदगी भरे फर्शों पर सोने के लिए विवश हैं और जिनके पास लहू जमा देने वाली उत्तर भारत की शीत ऋतु में तन ढकने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं है, जिन्हें खाने के लिए अस्वास्थ्यकर भोजन दिया जाता है तथा जिनके लिए शौचालयों तथा प्राइवेट स्नानागारों की कोई व्यवस्था नहीं है और जो इस बाबत शिकायत करने पर पीटी जाती हैं तथा जिन्हें रोगग्रस्त होने पर यथासमय चिकित्सा प्रदान नहीं की जाती। यह स्पष्ट है कि बिहार राज्य सरकार का कल्याण विभाग इन स्त्रियों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है, जिसे देखते हुए इस विभाग का बना रहना और इसमें निधि का विनियोजन करना उपयुक्त नहीं है। इन स्थापनाओं को दिया गया अनाथालय नाम इनका उपहास उड़ाता प्रतीत होता है। इनके वासी जिन दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनसे चेतना को धक्का लगता है। (पैरा 2)

राज्य सरकार को यह निदेश दिया गया कि वह सुसंगत अनाथालय के वासियों के रहने के लिए शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त अनुकल्पी आवास की व्यवस्था करे। जब तक नवीन व्यवस्था न हो, आवश्यक है कि वर्तमान भवन में, जिसमें इस समय वासी रह रहे हैं, तत्काल कोई उचित व्यवस्था की जाए और उसके लिए भवन में सुधार किया जाए तथा रिहायशी कमरों, स्नानागारों और शौचालयों के रूप में उसमें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली की भी व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार का कल्याण विभाग अनाथालय के वासियों के कल्याण के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा। कल्याण विभाग को यह भी निदेश दिया गया कि वह अनाथालय की देखभाल के लिए तथा अनाथालय में नियमित रूप से किसी चिकित्सक के दौरे को सुनिश्चित करने के लिए किसी पूर्णकालिक अधीक्षक की नियुक्ति करे। (पैरा 4)

आरंभिक अधिकारिता : 1987 की रिट (सिविल) याचिका सं० 1426.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका।

याची की ओर से कुमारी आभा जैन

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम० पी० झा

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति आर० एस० पाठक ने दिया।

मु० न्या० पाठक—यह रिट याचिका बिहार के रोहतास जिले की युवा अधिवक्ता कल्याण समिति, सासाराम से प्राप्त एक पत्र के आधार पर उद्भूत हुआ है। उक्त पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिकथन किया गया है कि 'अनाथालय', पटना (बिहार) के महिला वासी एक बहुत पुराने जीर्ण-शीर्ण भवन में कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए विवश हैं, यह कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, यह कि उन्हें जो भोजन दिया जाता है, वह अपर्याप्त होने के साथ-साथ घटिया दर्जे का होता है तथा उनकी चिकित्सा की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 18 नवंबर, 1987 को इस न्यायालय ने उक्त अनाथालय के

अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पटना तथा बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया तथा साथ ही पटना के विद्वान् जिला न्यायाधीश को यह आदेश दिया कि वह उक्त अनाथालय का दौरा करके उक्त पत्र में किए गए अभिकथनों के संदर्भ में वहां वास्तव में विद्यमान परिस्थितियों की बाबत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। विद्वान् जिला न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें उन्होंने यह कथन किया है कि उक्त अनाथालय का प्रबंध राज्य सरकार का कल्याण विभाग, उप-निदेशक, कल्याण, पटना के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किया जाता है, यह कि यद्यपि उस अनाथालय में पूर्णकालिक अधीक्षक रखे जाने का उपबंध है तो भी किसी पूर्णकालिक अधीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है और इसके बजाय श्रीमती एम० बी० वर्मा, जो आरा में तैनात हैं, उक्त अनाथालय का भी कार्यभार संभाले हुए हैं। अनाथालय के कर्मचारियों में दो पूर्णकालिक अधीक्षिकाएं, दो पुरुष लिपिक तथा दो रात्रि प्रहरी सम्मिलित हैं तथा अभी हाल ही में तीन पर्यवेक्षकों की उक्त अनाथालय में नियुक्ति की गई है। उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए तीन अध्यापक और एक ज्येष्ठ अनुदेशिका है। उन्होंने यह भी बताया है कि अभी हाल ही में उक्त अनाथालय से तीस वासी भाग गए थे और अब वहां तीन होम गार्ड तैनात किए गए हैं। उनकी रिपोर्ट से अनाथालय की शोचनीय दशा प्रकट होती है। उन्होंने बताया है कि जिस भवन में वासी रखे जाते हैं, वह किराए पर किया गया लगभग एक शताब्दी पुराना जीर्ण-शीर्ण मकान है। उक्त भवन बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है और असुरक्षित है तथा वर्षा ऋतु में कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचता जहां से उसकी छत न रिसती हो। 25 वासियों के आवास के लिए बिना खिड़की वाले पांच छोटे-छोटे सीलन और गंदगी भरे कमरों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शेष स्त्रियों को बरामदे में खुले में सोना पड़ता है। केवल कुछ ही स्त्रियों को कंबल और चारपाइयां दी गई हैं। उनकी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यद्यपि उक्त अनाथालय में 100 से अधिक स्त्रियां रह सकती हैं तो भी अनाथालय के उप-अधीक्षक ने उनके समक्ष यह स्वीकार किया कि अनाथालय में केवल 25 पतले-पतले कंबल हैं। अधिकांश वासी टूटे-फूटे फर्श पर सोने के लिए विवश हैं और उनके पास ओढ़ने के लिए कोई चादर भी नहीं होती। उनके पास पहनने के लिए कोई भी ऊनी वस्त्र नहीं है और न ही उन्हें साबुन अथवा तेल दिया जाता है। उन्हें प्रतिदिन पांच रुपये मूल्य की खुराक दी जाती है, जो उनके गुजारे के लिए मुश्किल से ही पूरी पड़ती है। जहां तक शौचालय की सुविधाओं का संबंध है, उनका यह कथम है कि भवन से बाहर नगर पालिका का एक नल लगा हुआ है और वह भी ठीक प्रकार से चालू हालत में नहीं है। वहां पानी की विकट समस्या है। पिछले महीने एक हैंडपंप लगाया गया था। अनाथालय में मुख्य खंड से बहुत दूर तीन टूटे-फूटे शौचालय हैं। अनाथालय के भीतर कोई स्नानागार अथवा शौचालय नहीं है तथा वासियों को रात्रि में उक्त दूरी पर स्थित शौचालयों में जाना पड़ता है। उनकी रिपोर्ट से यह भी प्रकट होता है कि अनाथालय के वासी उस दशा में पीटे जाते हैं, जब वे प्राधिकारियों के ससक्ष कोई शिकायत करते हैं और उनमें से अधिकांश ने यह इच्छा अभिव्यक्त की है कि उन्हें अपनी आजीविका कमाने या अपने परिवारों में लौटने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। 12 वासी, जो पागल थे, रांची के पागलखाने को भेजे गए तथा 11 बच्चे देवघर के बाल भवन को भेजे गए। इन वासियों में से अधिकांश वयस्क हैं तथा उनमें से पांच बधिर और मूक हैं। वे सभी राज्य के विभिन्न न्यायिक और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के आदेश से अनाथालय की अभिरक्षा में रखे गए थे। उक्त अनाथालय में कोई चिकित्सक

1988(8) eILR(PAT) SC 1

नियमित रूप से नहीं आया और पिछली बार जब किसी चिकित्सक ने अनाथालय का दौरा किया था तब से लेकर अब तक दो मास हो गए हैं।

2. भारत एक ऐसे संविधान से शासित कल्याणकारी राज्य है, जिसका भारत के नागरिकों के दिलों में गौरवपूर्ण स्थान है, जो समाज के दुर्बल वर्गों के संरक्षण और कल्याण पर विशेष बल देता है और उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रास्थिति को अपने उपबंधों में वर्णित सांविधानिक गारंटियों के आधार पर सुधारने की ईप्सा करता है। इसमें स्त्रियों और बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है और यद्यपि इसमें समता का सिद्धांत व्याप्त है तो भी यह उनके लिए विधि द्वारा विशेष उपबंध का किया जाना अनुध्यान करता है। यह तभी संभव है, जब कोई प्रबुद्ध सांविधानिक तंत्र ऐसे समाज के राजनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक शासन का भार अपने ऊपर ले, जिसमें स्त्रियों को शताब्दियों से उनका उचित स्थान नहीं मिला है। इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 का निर्वचन करते समय यह प्रदर्शित किया है कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप जीवन जीने का हकदार है। मानवोचित गरिमा के साथ रहना हर भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है और यही कारण है कि राज्य जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते समय यह आवश्यक समझता है कि अपूर्ण सामाजिक व्यवस्था द्वारा परित्यक्त अभागी स्त्रियों और बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए अनाथालय चलाए जाएं और तन्निमित्त उपबंध किया जाए। मानवता तथा विधि और व्यवस्था से संबंधित विचारणीय बातें राज्य से ऐसा करने की अपेक्षा करती हैं। सर्वमान्य सिद्धांत से मान्यताप्राप्त सांविधानिक मानकों का पालन करने के लिए राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह स्त्रियों और बच्चों को इन स्थापनाओं में, जिन्हें अनाथालय जैसा मधुर नाम प्रदान किया गया है, भेजते समय कम-से-कम वे न्यूनतम दशाएं उत्पन्न करे जो मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करती हैं। इस मामले में हमारे समक्ष दयनीय दशा वाला ऐसा जीर्ण-शीर्ण मकान है, जिसमें ऐसी स्त्रियां खचाखच भरी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश टूटे-फूटे तथा सीलन और गंदगी भरे फर्शों पर सोने के लिए विवश हैं और जिनके पास लहू जमा देने वाला उत्तर भारत की शीत ऋतु में तन ढकने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं है, जिन्हें खाने के लिए अस्वास्थ्यकर भोजन दिया जाता है तथा जिनके लिए शौचालयों तथा प्राइवेट स्नानागारों की कोई व्यवस्था नहीं है और जो इस बाबत शिकायत करने पर पीटी जाती हैं तथा जिन्हें रोगग्रस्त होने पर यथासमय चिकित्सा प्रदान नहीं की जाती। यह स्पष्ट है कि बिहार राज्य सरकार का कल्याण विभाग इन स्त्रियों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है, जिसे देखते हुए इस विभाग का बना रहना और इसमें निधि का विनियोजन करना उपयुक्त नहीं है। इन स्थापनाओं को दिया गया अनाथालय नाम इनका उपहास उड़ाता प्रतीत होता है। इनके वासी जिन दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनसे चेतना को धक्का लगता है।

3. राज्य सरकार के कल्याण विभाग की ओर से फाइल किया गया प्रतिशपथपत्र, जो उन दयनीय परिस्थितियों को, जिनका सामना वासियों को करना पड़ रहा है, न्यूनतम बनाने और उन पर मुलम्मा चढ़ाने तथा यह अभिकथन करने की ईप्सा करता है कि अनाथालय में बहुत-सी सुविधाएं विद्यमान हैं, विद्वान् जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता। सहायक निदेशक (समाज कल्याण) ने शपथ लेकर जो

1988(8) eILR(PAT) SC 1

प्रति-शपथपत्र दाखिल किया है, उससे यह प्रकट नहीं होता कि उसने अनाथालय का दौरा स्वयं किया था। यह प्रतीत होता है कि उसे अन्य व्यक्तियों से तथ्यों का पता चला। दूसरी ओर विद्वान् जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट एक ऐसे तटस्थ प्रेक्षक की वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट है, जिसने अनाथालय का दौरा स्वयं करने का कष्ट उठाया। हमारे पास उसकी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को वरीयता प्रदान करने का कारण है।

4. इन परिस्थितियों में हम राज्य सरकार को यह निदेश देना आवश्यक समझते हैं कि वह इस अनाथालय के वासियों के रहने के लिए शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त अनुकल्पी आवास की व्यवस्था करे। कहा जाता है कि राज्य सरकार ने कल्याण विभाग को पटना में गंगा के पुल के पास दो एकड़ जमीन अनाथालय के रूप में भवन सम्मिश्र बनाने के लिए, तथा सरकारी भवन में रह रहे वासियों को भी वहां भेजने के लिए दी है। कहा जाता है कि उक्त कल्याण विभाग ने उक्त भवन सम्मिश्र में अनाथालय की स्थापना करने के लिए 31.10 लाख रुपए मंजूर किए हैं तथा भवन के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। हम नहीं कह सकते कि नया भवन तैयार होने में कितना समय लगेगा। इस बीच यह आवश्यक है कि वर्तमान भवन में, जिसमें इस समय वासी रह रहे हैं, तत्काल कोई उचित व्यवस्था की जाए और उसके लिए भवन में सुधार किया जाए तथा रिहायशी कमरों, स्नानागारों और शौचालयों के रूप में उसमें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली की भी व्यवस्था की जाए। चारपाइयों सहित उपयुक्त फर्नीचर की वहां तत्काल व्यवस्था की जाए तथा वासियों को पर्याप्त संख्या में कंबल और चादरें तथा पहनने के वस्त्र दिए जाएं। हम यहां इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कल्याण विभाग ने यह कथन किया है कि वासियों का भत्ता 150 रु० से बढ़ाकर 200 रु० प्रतिमास किया जा रहा है और यह कि इसके अतिरिक्त उन्हें साबुन, तौलिया तथा प्रसाधन के लिए अपेक्षित अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। राज्य सरकार का कल्याण विभाग अनाथालय के वासियों के कल्याण के लिए हमारे द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा। हम कल्याण विभाग को यह भी निदेश देते हैं कि वह अनाथालय की देखभाल के लिए तथा अनाथालय में नियमित रूप से किसी चिकित्सक के दौरे को सुनिश्चित करने के लिए किसी पूर्णकालिक अधीक्षक की नियुक्ति करे।

5. हम यह मताभिव्यक्ति करने के लिए भी विवश हैं कि उक्त वासी बिहार राज्य के विभिन्न न्यायालयों अथवा विभिन्न कार्यपालिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों के अधीन इस अनाथालय की अभिरक्षा में भेजे गए हैं। कल्याण विभाग आज से एक महीने के भीतर इन मामलों का विवरण देते हुए तथा संबद्ध न्यायिक अथवा कार्यपालक प्राधिकारियों का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा उसके पश्चात् उच्च न्यायालय संबंधित जिला प्राधिकारी को अपने अनुदेश जारी करेगा, जिससे कि वह उचित कदम उठा कर मामलों का शीघ्र निपटारा कर सके।

6. हम ये निदेश देते हुए इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं, किंतु हम यह भी स्पष्ट किए देते हैं कि इस आदेश का कोई अनुपालन न होने अथवा अपर्याप्त अनुपालन होने

1988(8) eILR(PAT) SC 1

की दशा में हमें इस मामले पर पुनर्विचार करने में कोई झिझक नहीं होगी जिससे कि आदेश के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कदम उठाए जा सकें।

रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया गया।

अ०/श्री०